न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 51 / 2018 जिला सीकर

नानची देवी पत्नी श्री गिरधारी लाल , जाति बलाई, उम्र 64 वर्ष, निवासी 101 / 1 थाने के पास, खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मुख्यालय दांतारामगढ, जिला सीकर (राजस्थान)
2. गिरधारी लाल पुत्र घीसा
3. श्रवण कुमार पुत्र रूपाराम

जतियान बलाई, निवासीयान झामावास, पटवार हल्का लाडपुर, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर
दिनांक 23.7.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सीताराम सामोता
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री महेन्द्र कुमार बुनकर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक– 27.3.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय प्रकरण संख्या रीडर / 18 / 437 दिनांक 23.7.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 गिरधारी लाल , श्रवण कुमार वगैहरा द्वारा उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ , जिला सीकर को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ग्रम झामावास तथा खाटूश्यामजी की सीमा पर झामावास के खातेदारों द्वारा प्राचीन रास्ते को लकडी, पत्थर डालकर पूरी तरह बन्द कर रखा है जिसके कारण झामावास के इस रास्ते से लगने वाले आमजन पूरी तरह से अपने घरों में बन्द हो गये हैं तथा ये लोग रोजमर्रा की वस्तुओं से भी दूर हो गये हैं । उक्त रास्ते को तुरन्त खुलवाया जावे जो तीन गॉवों खाटूश्यामजी– झामावास – अलोदा को आपस में जोडता है । अतः रास्ते को तुरन्त खुलवाने की कृपा करें । रेस्पोंडेन्ट्स

Scanned by CamScanner

के उक्त प्रार्थना पत्र पर ग्राम झामावास, पटवार मण्डल लाडपुर, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 49, 47/724, 47/725, 51, 52, 56, 67, 68, 72, 66/1, 66/8, 66/7 व 64 के रकबे में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तहसीलदार दांतारामगढ ने पत्र कमांकः भू.अ./2018/1624 दिनांक 19.6.2018 से उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ , जिला सीकर को भिजवाते हुये अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने निर्णय दिनांक 23.7.2018 से माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53 / राजस्व /2016 दिनांक 2.11.2016 की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार दांतारामगढ से प्राप्त प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेश दिया गया कि संलग्न् प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की निम्न खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शे में तरमीम की जावे । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस ओदश का भाग रहेंगे । स्थगन नहीं हो तो पालना की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

क्रमांक	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	किस्म भूमि	रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा (है.में)
1	लाडपुर	झामावास	49	बारानी–4	0.0200
			47/725	चाही–4	0.0200
			51	चाही–4	0.1060
			52	चाही–4	0.0800
			72	चाही–4	0.1780
			56	चाही–4	0.0760
			68	चाही–4	0.0220
			67	चाही–4	0.0550
			66/1	बारानी–4	0.0500
			66/8	बारानी–4	0.1600
			66/7	बारानी–4	0.1350
			47/724	चाही–4	0.0100
			64	बारानी–4	0.0520

Scanned by CamScanner

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 23.7.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ दिनांक 23.7.2018 निरस्त करते हुये इसकी पालना में दिनांक 3.8.2018 को किये गये नामांतरकरण को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी आराजी खसरा नम्बर, 64 रकबा 1.0000 की खातेदार है जिसमें से पूर्व में कोई रास्ता प्रस्तावित नहीं था ना ही कोई रास्ता कभी रहा है । अपीलार्थी के खसरा नम्बर 64 के पास स्थित अन्य खसरा नम्बरान में से पूर्व में रास्ता कटा हुआ होने के बावजूद भी अपीलार्थिया को नुकसान तथा अन्य प्रभावशाली लोगों को फयदा पहुॅचाने की गरज से अपीलार्थिया के खसरा नम्बर 64 में से ही दो रास्ते प्रस्तावित कर दिये जिससे अपीलार्थिया के पास नामात्र की भूमि बचेगी जिससे वह अपना जीवन यापन करने में भी असमर्थ है । उनका कहना था कि अपीलार्थिया की भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थिया को कोई सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया एवं प्रकरण के तथ्यों पर गोर किये बिना , बिना मौका देखे , निरीक्षण व भौति सत्यापन किये बिना , जानबूझकर अपीलार्थिया को नुकसान पहुॅचाने की नियत से उसकी खातेदारी भूमि में से 2 रास्ते कायम करने में विधिक त्रुटि की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 23.7.2018 एवं इसकी पालना में किया गया नामांतरकरण निरस्त किया जावे ।

चित्र।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 64 के पश्चिम दिशा में स्थित खसरा नम्बर 51, 72, 78, 66, 66/8, 66/7 तक मौके पर रास्ता खुला हुआ एवं खसरा नम्बर 64 की दक्षिणी पूर्वी सीमा नगर पालिका खाटू से लगी हुई होने तथा कोने तक ग्रेवल सडक बनी हुई है, जो रास्ता उत्तर दिशा की ओर जा रहा है । खसरा नम्बर 64 (1) की खातेदार नानची देवी धर्मपत्नी गिरधारी लाल बैरवा ने रास्ते में छडियॉ व पत्थर डालकर नाजायज रास्ता बन्द रखा था । रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 के प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता खुलवाने पर तहसीलदार ने पटवारी से मौका रिपोर्ट ली जिसमें खसरा नम्बर 49, 47/724, 47/725, 51, 52, 56, 67, 68, 72, 66/1, 66/8, 66/7 व 64 के रकबे में से ग्रम खाटूश्यामजी से पंचकुन्डी से बलाईयों की ढाणी होकर जोगियों की ढाणी से गोरखनाथ मन्दिर से मीणों की ढाणी होकर आलोदा तक रास्ता होना एवं प्रचलित रास्ता 30–40 वर्षों से चालू होना एवं इससे आमजन के

Scanned by CamScanner

आवागमन करने तथा सार्वजनिक आवागमन के रूप में चालू होना एवं वर्तमान में चल रहे रास्तों को नक्शे में काटा जाना उचित होना अंकित किया है । उक्त खसरा नम्बरान में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने हेतु प्रस्ताव मय अभिशंषा के तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ को प्रेषित किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.7.2018 से विवादित भूमि में से गैरमुकीन रास्ता कायम किया है तथा इसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 3.8.2018 को स्वीकृत हो चुका है । उनका कहना था कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स को पक्षकार बनाये बिना केवल राजस्थान सरकार तहसीलदार को ही पक्षकार बनाकर यह अपील पेश की है जबकि रेस्पोंडेन्ट्स प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से गैरमुमकीन रास्ता जनहित में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आमजन के आवागमन हेतु कायम किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा इसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक कारण नहीं है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ दिनांक 23.7.2018 यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 गिरधारी लाल , श्रवण कुमार वगैहरा के प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता खुलवाने पर ग्राम झामावास, पटवार मण्डल लाडपुर, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 49, 47/724, 47/725, 51, 52, 56, 67, 68, 72, 66/1, 66/8, 66/7 व 64 के रकबे में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार दांतारामगढ के प्रस्ताव एवं अभिशंषा के आधार पर उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने दिनांक 23.7.2918 को विवादित भूमि में गैरमुकीन रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है ।

चित्र
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.7.2018 से ग्राम झामावास, पटवार मण्डल लाडपुर, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 49, 47/724, 47/725, 51, 52, 56, 67, 68, 72, 66/1, 66/8, 66/7 व 64 के खातेदारों की खातेदारी भूमि में से गैरमुमकीन रास्ता कायम किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये तथा सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम किया है । उपरोक्त खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 64 की भूमि की अपीलान्ट खातेदार होने से हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में न्यायिक रूप से आवश्यक है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई एवं

Scanned by CamScanner

साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना उसके अधिकारों के विपरीत पारित आदेश को न्यायिक आदेश नहीं कहा जा सकता । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 23.7.2018 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है तथा प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर को प्रतिपेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ , जिला सीकर दिनाक 23.7.2018 अपीलान्ट की खातेदारी भूमि ग्रम झामावास, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 0.0520 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर को पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिपेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner